संशोधित पंजीयन प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आवधिकता, प्रिंटिर, प्रकाशन, स्थल प्रिटिंग प्रेस अथवा स्वामी में परिवर्तन हुआ है तो संशोधित पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशक को आवेदन पूर्ण रूप भरकर तथा हस्ताक्षर करके (प्रोफार्मा आर.एन.आई. के वेबसाइट पर उपलब्ध है) निम्न दस्तावेज के साथ आर.एन.आई. में जमा कराना होगा।

1. संशोधित घोषणा पत्र के संबंधित प्राधिकारी (डी एम / एस डी एम / डी सी पी / जे सी पी / सी एम एम आदि) द्वरा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित संशोधित घोषणा पत्र जिसके कॉलम 11 (सी) में संशोधित घोषणा पत्र दाखिल करने के सभी कारक का उल्लेख करते हुए कॉपी के साथ स्व: प्रमाणित फोटोप्रति स्वीकार की जा सकती है, यदि आर.एन.आई. में दस्तावेज जमा करते समय फोटोप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया होना चाहिए।

नोट: 1 यदि प्रकाशक एवं मुद्रक अलग अलग व्यक्ति हैं तो दोनों से अलग अलग घोषणा कराना आवश्यक है।

नोट: 2 यदि प्रकाशन स्थल तथा प्रिंटिग प्रेस अलग अलग जिलों में हैं तो दोनों जिलों से अलग अलग घोषणा आवश्यक है।

2. पी.आर.बी. अधिनियम 1867 की धारा 5 (2बी) के अनुसार यदि समाचार पत्र-पत्रिका का स्वामी उसका प्रकाशक एवं मुद्रक नहीं है तो प्रकाशक एवं मुद्रक के पास स्वामी की ओर से दिया गया अधिकार पत्र होना चाहिए जिसमें उन्हें प्रकाशक एवं मुद्रक प्राधिकृत किया गया हो तथा घोषणा देने के लिए भी प्रधिकृत किया गया हो। यदि स्वामी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी आदि हो तो प्रकाशक एवं मुद्रक का घोषणा पत्र देने के लिए प्राधिकृत होना जरुरी होगा।
3. समाचार पत्र का मूल आर.एन.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र। यदि प्रमाण पत्र गुम हो गया है तो पंजीयन प्रमाण पत्र गुम होने संबंधी शपथ पत्र के साथ डी.डी.ओ. आर.एन.आई. नई दिल्ली के पक्ष में 5 रूपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर।
4. प्रकाशक द्वारा यथा हस्ताक्षरित (कोई विदेशी गठबंधन नहीं होने का शपथपत्र) तथा नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र 'डी'। (शपथ पत्र 'डी' का प्रोफार्मा आर.एन.आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध है) लेकिन अगर स्वामी का कोई विदेशी गठबंधन है तो संबंधित प्रोफार्मा शपथ पत्र 'ए' , शपथ पत्र 'बी' अथवा शपथ पत्र 'सी' में देना अनिवार्य है।
5. पी आर बी अधिनियम, 1867 की धारा4 के तहत संबंधित डी.एम./एस.डी.एम. के पास दाखिल प्रिंटिंग प्रेस घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति के साथ प्रिंटिंग करार की मूल या सत्यापित प्रति जो स्टांप पेपर या कोरा काग़ज पर (प्रकाशक/स्वामी तथा प्रिंटिंग प्रेस के रखवाले/स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित) हो। (प्रकाशन के स्वामी/प्रकाशक तथा प्रिंटिंग प्रेस के बीच करार का प्रारूप आर.एन.आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।)
6. घोषणा में दिए गए विवरण के अनुसार इंप्रिंटलाइन में आवश्यक बदलाव करते हुए संशोधित घोषणापत्र के अधिप्रमाणन के बाद अगला अंक निकालें। आवधिकता में परिवर्तन के बाद अगला अंक/वर्ष संख्या उसी क्रम में चलता रहेगा पंरतु नई आवधिकता में घोषणापत्र के अधिप्रमाणन के बाद निकाला गया प्रथम अंक, अंक-1, होगा। तथापि, अन्य परिवर्तन के मामलें में वर्ष संख्या तथा अंक संख्या जारी रहेगा। आवेदन जमा करते समय प्रकाशित नवीनतम अंक जमा करना होगा।

कृपया सुनिश्चित करें कि प्रकाशन नीचे दिये गये विवरण के अनुसार है:-

I. पत्र-पत्रिका का मुद्रण घोषणा में दिए गए प्रेस से किया जाना चाहिए तथा उसमें प्राथमिक रूप से समाचार/विचार/लेख आदि शामिल होने चाहिए। द्विभाषी/बहुभाषी पत्र-पत्रिकाओं के मामले में समाचार/विचार/लेख आदि प्रकाशन के सभी संबंधित भाषाओं में प्रकाशित होने चाहिए।

II. शीर्षक की विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए उसे किसी अन्य शीर्षक से मिलता जुलता/नकल किया हुआ नहीं होना चाहिए।पत्र-पत्रिकाओं के पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर छापे जाने वाले मास्ट हेड में शीर्षक को उसी तरह प्रदर्शित करना चाहिए जैसा वह सत्यापित किया गया है। मास्टहेड पर शीर्षक के फोंट/अक्षरों के आकार में एकरूपता होनी चाहिए। फोंट/अक्षरों के आकार में अंतर 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। शीर्षक का प्रदर्शन ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज रूप में यानी खड़े या पड़े तरीके से होना चाहिए। द्विभाषी/बहुभाषी पत्र-पत्रिकाओं के मामले में शीर्षक मास्टहेड पर प्रकाशन की किसी एक भाषा में होना चाहिए। अगर सत्यापित शीर्षक में दैनिक/सत्यापित/मासिक आदि नहीं है तो मास्ट हेड पर शीर्षक के साथ उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। यदि मास्ट हेड में शीर्षक अंग्रेजी अथवा हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है तो उसे हिंदी/अंग्रेजी में भी लिखा जाना चाहिए। (उसे सत्यापन के अनुरूप होना चाहिए मगर अनुवादित नहीं होना चाहिए और वह छोटे फोंट में भी हो सकता है।)

III. मास्टहेड में डेट लाइन होनी चाहिए जिसमें खण्ड एवं अंक संख्या, तारीख/महीना/वर्ष, आवधिमका, मूल्य एवं प्रकाशन का स्थान पत्र-पत्रिका की भाषा में और अगर पत्र- पत्रिका अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है तो शीर्षक अंग्रेजी/हिंदी में भी होना चाहिए।

IV. पत्र-पत्रिका के प्रत्येक पृष्ठ पर शीर्षक, पृष्ठ सं. तथा तारीख/महीना/वर्ष प्रदर्शित होना चाहिए।

V. इंप्रिंट लाइन इस तरह छानी जानी चाहिए जिससे उस आसानी से पढा़ जा सके। (स्वामी) .....के लिए..... द्वारा मुद्रित और..... द्वारा प्रकाशित.....तथा.....(प्रिंटिंग प्रेस का नाम एवं पूरा पता) से मुद्रित और..... (प्रकाशन स्थल का पूरा पता) से प्रकाशित। संपादक.....।

नोट-1 अंग्रेजी अथवा हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में छापने वाली पत्र-पत्रिका के मामले में संदर्भ हेतु इंप्रिंट लाइन अंग्रेजी/हिंदी में भी होनी चाहिए जिसके फोंट का आकार छोटा हो सकता है।

7. यदि वार्षिक विवरणी नहीं जमा कराई है तो 'डी डी ओ, 'आर,एन,आई.' नई दिल्ली के पक्ष में 500 रू0 (प्रत्येक चूक वर्ष के लिए) का दंड जमा करना होगा। (एक चूक वर्ष के लिए 500 रू0, दो चूक वर्ष के लिए1000 रू तथा इसी प्रकार.....)

8. यदि समाचार पत्र के स्वामित्व में परिर्वतन है तो संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेज के साथ निम्न में से एक दस्तावेज आवश्यक है:-

(क) स्वामी के मृत्यु के पश्चात् स्वामित्व परिवर्तन स्वामी के मृत्यु के मामले में शीर्षक हस्तांतरण करने वाले स्वामी द्वारा बनाई गई पंजीकृत वसीयत की सत्यापित प्रति यदि वसीयत नहीं है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा

यथा हस्ताक्षरित कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा संबंधित डी.एम./एस.डी.एम. द्वारा यथा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिप्रमाणित सभी अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज जमा कराना अनिवार्य है। अनापत्ति प्रमाणपत्र में नए स्वामी को हस्तांतरित (सभी संस्करण) शीर्षकों के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(ख) एकल स्वामी से एकल/गैर एकल स्वामी में स्वामित्व परिवर्तन संबंधित डी.एम./एस.डी.एम. से अधिप्रमाणित स्वामित्व परिवर्तन संबंधी शपथपत्र देना होगा।

(ग) गैर-एकल (कंपनी,फर्म,इत्यादि) से एकल/गैर-एकल में स्वामित्व परिवर्तन स्वामित्व हंस्तातरण के लिए गैर-एकल (कंपनी,फर्म,इत्यादि) का प्रस्ताव देना होगा तथा स्वामित्व हस्तांतरण संबंधी शपथपत्र दायर करने के लिए भी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वामित्व परिवर्तन हेतु संबंधित डी.एम./एस.डी.एम. द्वारा यथा अधिप्रमाणित शपथ पत्र अनिवार्य है।

(घ) गैर-एकल स्वामी आदि के नाम में परिवर्तन ऐसे मामलों में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कंपनी के नाम में परिवर्तन के लिए संबंधित डी.एम./एस.डी.एम. द्वारा यथा अधिप्रमाणित शपथपत्र के साथ नाम में परिवर्तन साबित करने वाले सहायक दस्तावेज अनिवार्य है।

(ड) कंपनियों के विलय के मामले में स्वामी के नाम में परिवर्तन ऐसे मामलों में न्यायालय के निर्णय (राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा सत्यापित) की जरूरत होती है।

नोट: 1 विभिन्न राज्यों/जिलों के अधिक संस्करण हैं तो प्रत्येक जिले/राज्य से स्वामित्व परिवर्तन संबंधी शपथपत्र अनिवार्य है।

नोट: 2 एक शीर्षक के सभी संस्करणों का स्वामित्व केवल एक स्वामी को हस्तांतरित होगा। पी आर बी अधिनियम, 1867 की धारा 6 के अनुसार एक स्वामी के नाम सभी समरूप शीर्षकों का स्वामित्व केवल एक स्वामी के नाम हस्तांतरित हो सकता है।